

पटना में दिनांक-12 अगस्त, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | राज्य अंतर्गत चार नगर निकायों यथा नगर निगम गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहारशरीफ में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सी०बी०जी०) के अधिष्ठापन हेतु ऑयल गैस मैनुफैक्चरिंग कम्पनीज क्रमशः इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०), गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) को संबंधित नगर निकाय में 10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए मात्र उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | सात निश्चय-3 के निश्चय '1' दोगुना रोजगार-दोगुना आय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कतिपय संशोधन के साथ कुशल युवा कार्यक्रम को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2026-27 में कुल अनुमानित राशि रुपये 430.0833 करोड़ (रुपये चार सौ तीस करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नामांकन प्रक्रिया में संशोधन करने एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से करने की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | श्री संजय कुमार (भा०प्र०से०), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर महानिदेशक, बिपार्ड को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2026 के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-7329 दिनांक-25.04.2025 की कंडिका-4(iii) के प्रावधान के आलोक में अगले 01 वर्ष (दिनांक-01.08.2026 से 31.07.2027 तक) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सूचना प्रावैधिकी विभाग

5. संचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारतनेट (पूर्व में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN)) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये राईट ऑफ वे (RoW) से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता एकरारनामा के एडेन्डम हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में।
5. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

7. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि०, पटना के अधीन ग्रिड उपकेन्द्र कार्यालय एवं पूर्व निर्धारित यार्डस्टीक के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता (जी०टी०ओ०), सहायक कार्यपालक अभियंता (जी०टी०ओ०), कनीय विद्युत अभियंता (जी०टी०ओ०), प्रधान अग्रजन, अग्रजन, तकनीकी कोटि-I, II एवं III के कुल 221 (दो सौ इक्कीस) पदों के सृजन के संबंध में।
7. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

8. प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/- (दस हजार) रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/- (बीस हजार) रुपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल 1,000/- करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय/हस्तांतरण की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक-7920, दिनांक-29.07.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
9. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

10. उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक व्यापक, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं दीर्घकालिक रूप से वित्तीय दृष्टि से सतत् बनाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-2031 का कार्यान्वयन प्रारूप (अनुलग्नक-क'), योजना के सुदृढीकरण एवं अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) तक विस्तारित करने तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹950.00 (नौ सौ पचास) करोड़ रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

उच्च शिक्षा विभाग

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर राज्य के लगभग 300 से अधिक एकल (Stand-Alone) शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (B.Ed.) का बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरण एवं शैक्षणिक सुदृढीकरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
11. स्वीकृत।